



Neutral Citation No - 2026:AHC:24991

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4283

धरमपाल सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आनंद कुमार, शंभू देवाचार्य, शशि शेखर मौर्य

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कृष्ण कांत सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी को सूचना जारी कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित हों, तो आदेश के उपांतरण/परिवर्तन की प्रार्थना करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित मूल अनुतोष यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील-कोल, जिला आगरा को यह निर्देशित किया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अन्तर्गत वाद संख्या 8821/2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202518020208821 को विहित अवधि के भीतर विनिर्णीत करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार ऐसे आवेदनों का निर्णय समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। धारा 24 की उपधारा (3) निम्नवत् है:-

"(7). इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही, यथासंभव, आवेदन की दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उप जिलाधिकारी द्वारा निर्णीत की जाएगी।"

5. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि व्यतीत हो चुकी है, तथापि आज पर्यन्त प्रकरण में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका यह निर्देशित करते हुए अंतिमता से निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त वाद को विनिर्णीत करें, जब तक कि कोई विधिक व्याघात न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"